इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2124

30 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए

एन.एम.डी.सी. की मूल्य निर्धारण पद्धति

2124. डा. जनार्दन वाघमरे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अपनी मूल्य निर्धारण पद्धति में परिवर्तन करके एन.एम.डी.सी. ने घरेलू इस्पात उत्पादकों की कीमत पर इस उद्योग के औसत लाभ की तुलना में सामान्य से अधिक लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि यदि एन.एम.डी.सी. कीमतें अधिक रखती है, तो गैर-सरकारी लौह अयस्क उत्पादकों को लाभ मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त स्थिति को सुधारने हेतु क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) से (ग): लौह अयस्क नियंत्रणमुक्त क्षेत्र में है। तदनुसार, लौह अयस्क के मूल्य अलग-अलग कंपनियों द्वारा अयस्क की गुणवत्ता, वाणिज्यिक विवेक और बाजार की सामान्य स्थिति के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। लौह अयस्क कंपनियों का लाभ कई तथ्यों पर निर्भर करता है जिनमें लौह अयस्क की गुणवत्ता, प्रचालन का परिमाण, जनशक्ति की लागत, कर, मूल्य आदि शामिल हैं। चूंकि एनएमडीसी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक नवरत्न उपक्रम है, इसलिए कंपनी के उत्पादों के निर्गम मूल्यों सहित कंपनी के वाणिज्यिक और वित्तीय निर्णय एनएमडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं। वर्ष 2011-12 से एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा अपनाई जा रही मूल्य-निर्धारण नीति के अनुसार, छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी लिमिटेड की खानों के विभिन्न उत्पादों के मूल्य लौह अयस्क के चल रहे घरेलू मूल्यों के अनुरूप रखे जाते हैं। तथापि, इस समय कर्नाटक राज्य में स्थित खानों के लौह अयस्क की बिक्री उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार मॉनीटरिंग समिति द्वारा आयोजित ई-नीलामी के जरिए की जा रही है।

****